



बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग
परीक्षा नियंत्रक कार्यालय



नियोजन भवन, चतुर्थ तल, बी-ब्लॉक, बेली रोड, पटना-01

0612-2521162 M examcontrollerbihar.iti@gmail.com, https://state.bihar.gov.in/labour

पत्रांक:- रा0वृ0परी0- 04 / 2023-..... /

पटना, दिनांक-..... /

प्रेषक,

संयुक्त निदेशक (परीक्षा)
बिहार, पटना।

सेवा में,

श्री घनश्याम रविदास
श्रम अधीक्षक,
श्रम संसाधन विभाग
बिहार, पटना।

विषय:- आई0 टी0 आई0 प्रमाण-पत्रों के सत्यापन शुल्क में संशोधन से संबंधित विज्ञप्ति को दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना के नियंत्रणाधीन परीक्षा नियंत्रक कार्यालय में केन्द्र एवं राज्य सरकार के कार्यालयों तथा विदेशों से आई0टी0आई0 प्रमाण-पत्रों के सत्यापन हेतु पूर्व के निर्धारित सत्यापन-शुल्क में संशोधन किया गया है। इस संबंध में विज्ञापन एवं अग्रसारण पत्र (हार्ड कॉपी एवं सॉफ्ट कॉपी) में संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

अतः अनुरोध है कि उक्त विज्ञापन को सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार, पटना को e-advertisement Portal के माध्यम से ऑनलाईन उपलब्ध कराने की कृपा की जाय, ताकि ससमय विज्ञापन प्रकाशित हो सके।

अनुलग्नक-सूचना की एक प्रति (सी0डी0 सहित)।

विश्वासभाजन

ह0/-

संयुक्त निदेशक (परीक्षा)

बिहार, पटना।

ज्ञापांक- रा0वृ0परी0- 04 / 2023-..... 345..... /

पटना, दिनांक- 25-03-2023

प्रतिनिधि:- आई0टी0 मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को उक्त सूचना विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु अग्रसरित।

संयुक्त निदेशक (परीक्षा)

बिहार, पटना।

बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग
निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण, नियोजन भवन, बेली रोड, पटना।

सूचना

श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना के नियंत्रणाधीन परीक्षा नियंत्रक कार्यालय में केन्द्र एवं राज्य सरकार के कार्यालयों, गैर सरकारी प्रतिष्ठानों/कार्यालयों तथा विदेशों से आई0टी0आई0 प्रमाण-पत्र सत्यापन हेतु प्राप्त आवेदन के निस्तारण के निमित्त राज्य सरकार द्वारा सत्यापन शुल्क निर्धारित है।

दिनांक-19.02.2025 को सम्पन्न राज्य कौशल विकास उद्यमिता समिति (State Skill Development & Entrepreneurship Committee) की बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में सरकारी प्रतिष्ठानों/सरकारी कार्यालयों (राज्य एवं केन्द्र सरकार) से आई0टी0आई0 प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जायेगा तथा उच्च पाठ्यक्रम में नामांकन हेतु सरकारी शिक्षण/प्रशिक्षण संस्थान (राज्य एवं केन्द्र सरकार) से प्राप्त आई0टी0आई0 एवं अप्रेंटिसशिप प्रमाण-पत्रों के सत्यापन पर भी कोई शुल्क नहीं लिया जायेगा। जबकि प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु निजी प्रतिष्ठान/कम्पनी एवं विदेशों से प्राप्त आवेदनों पर सत्यापन शुल्क निम्न सारणी अनुसार यथावत् रहेगा :-

परीक्षा	बिहार सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य राज्य सरकार	प्राइवेट संस्थान	विदेश से प्राप्त
अखिल भारतीय व्यवसायिक परीक्षा	शून्य	शून्य	शून्य	600	800
राज्य व्यवसायिक परीक्षा	शून्य	शून्य	शून्य	600	800

संयुक्त निदेशक (परीक्षा)
बिहार, पटना।